राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 4(7)शिक्षा–1 /2014 जयपुर, दिनांक : 11/07/2017

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषय **राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानो एवं दानदाताओ/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) स्थापित करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानो एवं दानदाताओ/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** स्थापित करने की राज्य सरकार की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

1. **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :–

   (i) राजकीय विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार सीएसआर राशि का संग्रहण व प्रबन्धन करना।

   (ii) राजकीय विद्यालयों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए दानदाताओं / भामाशाहों/ संस्थाओं व क्राउड फण्डिंग (Crowd Funding) के माध्यम से आवश्यक धनराशि प्राप्त करना।

2. **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के माध्यम से विद्यालयों के विकास हेतु परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निम्नानुसार व्यवस्था होगी :–

   (i) दानदाता/सीएसआर कम्पनी स्वयं अपनी परियोजना/गतिविधि की क्रियान्वित कर सकती है।

   (ii) दानदाता/सीएसआर कम्पनी स्वयं द्वारा चिन्हित सेवा प्रदाता के माध्यम से परियोजना/गतिविधि का क्रियान्वयन कर सकती है।

(iii) दानदाता/सीएसआर कम्पनी परियोजना/गतिविधि हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद/ राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद** के माध्यम से परियोजना क्रियान्वित कर सकती है।

(iv) दानदाताओं द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में स्थापित **एज्यूकेशन फंड** में योगदान दिया जा सकता है, जिसका उपयोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य सरकार की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु किया जावेगा। इस फंड में की गयी योगदान राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर छूट प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इस फंड में विदेशी स्त्रोतो से योगदान प्राप्त करने के लिये Foreign Contribution Regulation Act के तहत पंजीकरण कराने का प्रयास किया जावेगा।

3. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के Memorandum of Association के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु प्राप्त होने वाले दान / धनराशि का प्रबंधन परिषद द्वारा किया जा सकता है। अतः **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के विकास एवं प्रबन्धन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर नोडल एजेन्सी होगी।

4. **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के प्रबंधन एवं उपयोग हेतु निम्नानुसार व्यवस्था होगी :-

(i) राज्य स्तर पर

(a) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की शाषी परिषद** जिसके शिक्षा मंत्री एवं मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के राज्य परियोजना निदेशक सदस्य सचिव हैं, **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के संबंध में नीति निर्धारण, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।

(b) स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की राज्य स्तरीय निष्पादक समिति** शाषी परिषद द्वारा निर्धारित नीति एवं क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के संचालन का कार्य करेगी।

(c) **राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता** में गठित राज्य स्तरीय संविक्षा समिति **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** पर प्रदर्शित किए जाने वाली परियोजनाओं तथा सीएसआर कम्पनीज एवं

दानदाताओं के द्वारा स्वनिर्मित परियोजनाओं की संवीक्षा (Screening) एवं अनुमोदन का कार्य करेगी। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

क्र.सं.	पदनाम	संवीक्षा समिति में पद
1	अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	**उपाध्यक्ष**
2	उपायुक्त (सीएसआर प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	**सदस्य सचिव**
3	आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा नामित अधिकारी (उपायुक्त के समकक्ष)	सदस्य
4	नियंत्रक वित्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
5	नियंत्रक वित, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
6	प्रभारी (आंभियांत्रिकी शाखा), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
7	प्रभारी (आंभियांत्रिकी शाखा), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
8	उप निदेशक (सीएसआर प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
9	उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
10	उप निदेशक (शाला दर्शन प्रकोष्ठ), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य

(ii) जिला स्तर पर

(a) **जिला कलक्टर की अध्यक्षता** में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की जिला स्तरीय निष्पादन समिति जिला स्तर पर मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(b) **जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ की अध्यक्षता** में जिला स्तरीय संवीक्षा समिति (Screening Committee) **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** पर जिला स्तर पर प्रदर्शित किए जाने वाली परियोजनाओं की पहचान कर राज्य स्तर पर गठित Screening कमेटी को अनुमोदन हेतु अनुशंषा करेगी। जिला स्तरीय संवीक्षा समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

क्र.सं.	पदनाम	संवीक्षा समिति में पद
1	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	**सदस्य सचिव**
2	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
3	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
4	लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय	सदस्य
5	प्रभारी (अभियांत्रिकी शाखा), कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य
6	प्रभारी (अभियांत्रिकी शाखा), कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य

(iii) विद्यालय स्तर पर

(a) विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/ विद्यालय प्रबन्ध समिति, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद/ राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के माध्यम से कियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के विद्यालय स्तर पर निष्पादन के लिए कार्यकारी संस्था होगी एवं निम्न प्रकार से उत्तरदायी होंगी :–

- राशि प्राप्त करना तथा निर्धारित समय सीमा में उपयोग करना।
- निर्धारित मानदण्डानुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
- परियोजना क्रियान्वयन प्रगति से अवगत करवाना व परियोजना समाप्ति पर अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

5. उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी की जाती है :–

(i) एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के लिए पृथक से खाते का संधारण किया जायेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऑडिट करवाई जायेगी। प्रशासनिक विभाग द्वारा इस फण्ड में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ अन्य किसी योजना जैसे मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता /डोनेशन को इस एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में किसी भी रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iii) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्तमान में स्वीकृत स्टॉफ स्ट्रेंथ में से सीएसआर गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं संचालन हेतु

पृथक से सीएसआर प्रकोष्ठ का गठन शिक्षा संकुल में किया जा चुका है। इस सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा ही **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** से संबंधित कार्य सम्पादित किया जावेगा। अतः वित्त विभाग से इस हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के संचालन से सम्बन्धित सभी वैधानिक अनुमति (Statutory Permissions) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समक्ष प्राधिकरण से प्राप्त की जायेगी।

(v) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में प्राप्त राशि के स्रोत की पूर्ण जानकारी का संधारण किया जायेगा।

(vi) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग हेतु जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात जारी किये जायेंगे।

(अशफाक हुसैन)
विशिष्ठ शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक : डी / 100 / मं.मं. / 2017 जयपुर, दिनांक 11.07.2017 के क्रम में।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि. (आयोजना)
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5)
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2, 6)
9. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, विभाग।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, विभाग।
12. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा / सर्व शिक्षा अभियान।
13. रक्षित पत्रावली।

(आर.एस. झालानी)
शासन उप सचिव–प्रथम